मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

क्र/डी–15/44/17/14–3 खरीफ 2017 के लिये भावांतर भुगतान योजना का राष्टीय सूचना केन्द्र द्वारा पोर्टल संचालित किया जा रहा है, जिसमें योजना अन्तर्गत प्रदेश के किसानों का चयनित फसलों के लिये पंजीयन करने, उनके भूमि तथा बोनी का रकबा, बोई गई फसल का विवरण, पंजीकृत उपज को मंडी प्रांगण में विक्रय संव्यवहार, शासन द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर औसत उत्पादकता, शासन द्वारा अवधि विशेष के लिये समय–समय पर निर्धारित औसत मॉडल (होलसेल) विक्रय दर आदि दर्ज विवरण के आधार पर भावांतर का निर्धारण होता है।

जिला कलेक्टर्स द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि पोर्टल पर किसानों के पंजीयन, भूमि का रबा, बोई गई फसल का सत्यापन, मंडी में विक्रय संव्यवहार इत्यादि आवश्यक जानकारियों के कुछेक प्रकरणों में इन्द्राज होने से छूट गई अथवा त्रुटिपूर्ण विवरण दर्ज हो गया है। पोर्टल पर इन जानकारियों का सूक्ष्म सत्यापन की व्यवस्था निर्धारित है जिसमें उजागर होने वाली विसंगतियों का यथा समय निराकरण अनिवार्य है ताकि योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं नियत प्रकिया के अनुसार पात्र पंजीकृत कृषक से संबंधित शुद्व एवं प्रमाणिक विवरण के आधार पर सही भावांतर का तत्परता से हितग्राही के बैंक खाते में सीधे राशि अंतरित हो सके।

अतः कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये पोर्टल में योजना से संबंधित छूटी गई जानकारी को इन्द्राज करने अथवा त्रुटिपूर्ण दर्ज विवरण को संशोधित करने के लिये जिला कलेक्टर को लॉगइन पासवर्ड प्रदान किया जाता है एवं विभागीय ज्ञाप क्रमांक डी–15/44/2017/14–3 दिनांक 06 सितम्बर 2017 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कियान्वयन समिति को दिनांक 14 मार्च, 2018 से 21 मार्च 2018 तक की अवधि में मूल दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण कर उसके कारण को लेखबद्व करते हुए डाटा फीड करने की शर्त के अध्याधीन अनुमति देने तथा उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, परन्तु इसके अन्तर्गत पोर्टल पर पंजीकृत फसल में परिवर्तन निषेद्व रहेगा।

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/मं.बो./भा.भु.यो./ भोपाल, दिनांक /03/2018

प्रतिलिपिः—

1. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन् बोर्ड, भोपाल की ओर संबंधित सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को आरोप पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
6. प्रबंध संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल।
7. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
8. जिला प्रबंधक (समस्त), खादय एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जिला .....
9. अपर संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
10. श्री अब्राहम वर्गीस/श्री ए.एन. सिद्धकी, तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र भोपाल को खरीफ 2018 के भावान्तर भुगतान योजना का मण्डी समितियों के स्तर पर पंजीयन के लिए उन्हे पोर्टल पर एक्सेस तथा लॉग–इन पासवर्ड दिनांक .... मार्च 2018 तक प्रदान करने हेतु प्रेषित।

17/3/18

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग